

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (तकनीकी सेल)

ई0पी0सी0 मिशन, नियोजन विभाग

द्वितीय तल, योजना भवन, लखनऊ-226001

(technicalcellepmission@gmail.com)

पत्र सं0-1924/हनीमैन क्रा0 आवास/तकनीकी सेल/2025

दिनांक:- 09.10.2025

सेवा में,

मेसर्स आर्च कन्सल्टेंट्स,
सी-67, 1 एवं 2 फ्लोर,
सेक्टर-बी, अलीगंज, लखनऊ।

विषय:- ई0पी0सी0 मोड पर जनपद लखनऊ में हनीमैन क्रासिंग, गोमती नगर में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ के मा0 न्यायमूर्तिगणों हेतु आवासों के निर्माण के सम्बन्ध में।


संदर्भ:- 1. इस कार्यालय का पत्रांक 1895/हनीमैन क्रा0 आवास/तकनीकी सेल/2025 दि0 03.10.2025।
2. आपका पत्रांक 1/2025/oct/Judges दि0 03.10.2025।

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र दि0 03.10.2025 के माध्यम से आपके साथ गठित अनुबन्ध के अनुबन्ध के Section-III General Conditions of Contract (Part A) के Clause 14 Liquidated Damages and Penalty, Clause 17 Termination एवं Clause 19 Determination or Rescission of Agreement में प्राविधानित शर्तों के अनुसार आपकी फर्म पर अनुबंध लागत के 05 प्रतिशत बराबर की Penalty लगाते हुए फर्म को 01 वर्ष के लिये तकनीकी सेल, नियोजन विभाग, लखनऊ से Debarment/ Blacklist किये जाने की कार्यवाही प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया था।

इस सम्बन्ध में आपके द्वारा पत्र दि0 03.10.2025 के माध्यम से Penalty एवं Debarment/ Blacklist किये जाने की कार्यवाही से अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आपके प्रतिवेदन में कोई भी तथ्य ऐसा नहीं आया है जिससे प्रकरण पर पुनः विचार किया जाये।

अतः इस कार्यालय के पत्र दि0 03.10.2025 के माध्यम से आपकी फर्म पर अनुबंध लागत के 05 प्रतिशत बराबर की Penalty एवं 01 वर्ष के लिये तकनीकी सेल, नियोजन विभाग, लखनऊ से Debarment/ Blacklist किये जाने के सम्बन्ध में लिये निर्णय को यथावत रखा जाता है।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।



(पवन वर्मा)

मुख्य अभियन्ता (तकनीकी सेल)

ई0पी0सी0 मिशन, नियोजन विभाग, लखनऊ

पत्र सं0- /हनीमैन क्रा0 आवास/तकनीकी सेल/2025

दिनांक:- 09.2025

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख अभियन्ता, परिकल्प एवं नियोजन, लो0नि0वि0, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता (भवन), लो0नि0वि0, लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, लो0नि0वि0, लखनऊ।
4. श्री आनन्द मिश्रा, निदेशक, दार्घकालीन योजना प्रभाग (नोडल अधिकारी वेबसाइट), राष्ट्रीय विज्ञान केन्द्र, लखनऊ को नियोजन विभाग, उ0प्र0 की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।

मुख्य अभियन्ता (तकनीकी सेल)

ई0पी0सी0 मिशन, नियोजन विभाग, लखनऊ

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (तकनीकी सेल)

ई0पी0सी0 मिशन, नियोजन विभाग
द्वितीय तल, योजना भवन, लखनऊ-226001
(technicalcellepmission@gmail.com)

पत्र सं0- /हनीमैन क्रा0 आवास/तकनीकी सेल/2025
सेवा में,

दिनांक- 10.10.2025

मेसर्स आर्च कन्सल्टेंट्स,
सी-67, 1 एवं 2 फ्लोर,
सेक्टर-बी, अलीगंज, लखनऊ।

विषय:- ई0पी0सी0 मोड पर जनपद लखनऊ में हनीमैन क्रासिंग, गोमती नगर में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ के मा0 न्यायमूर्तिगणों हेतु आवासों के निर्माण के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- 1. इस कार्यालय का पत्रांक 1895/हनीमैन क्रा0 आवास/तकनीकी सेल/2025 दि0 03.10.2025।
2. आपका पत्रांक 1/2025/oct/Judges दि0 03.10.2025।

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र दि0 03.10.2025 के माध्यम से आपके साथ गठित अनुबन्ध के अनुबन्ध के Section-III General Conditions of Contract (Part A) के Clause 14 Liquidated Damages and Penalty, Clause 17 Termination एवं Clause 19 Determination or Rescission of Agreement में प्राविधानित शर्तों के अनुसार आपकी फर्म पर अनुबन्ध लागत के 05 प्रतिशत बराबर की Penalty लगाते हुए फर्म को 01 वर्ष के लिये तकनीकी सेल, नियोजन विभाग, लखनऊ से Debarment/ Blacklist किये जाने की कार्यवाही प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया था।

इस सम्बन्ध में आपके द्वारा पत्र दि0 03.10.2025 के माध्यम से Penalty एवं Debarment/ Blacklist किये जाने की कार्यवाही से अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आपके प्रतिवेदन में कोई भी तथ्य ऐसा नहीं आया है जिससे प्रकरण पर पुनः विचार किया जाये।

अतः इस कार्यालय के पत्र दि0 03.10.2025 के माध्यम से आपकी फर्म पर अनुबन्ध लागत के 05 प्रतिशत बराबर की Penalty एवं 01 वर्ष के लिये तकनीकी सेल, नियोजन विभाग, लखनऊ से Debarment/ Blacklist किये जाने के सम्बन्ध में लिये निर्णय को यथावत रखा जाता है।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

(पवन वर्मा)

मुख्य अभियन्ता (तकनीकी सेल)
ई0पी0सी0 मिशन, नियोजन विभाग, लखनऊ

पत्र सं0-1924/हनीमैन क्रा0 आवास/तकनीकी सेल/2025
प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित-

दिनांक:- 09.09.2025

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख अभियन्ता, परिकल्प एवं नियोजन, लो0नि0वि0, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता (भवन), लो0नि0वि0, लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, लो0नि0वि0, लखनऊ।
4. श्री आनन्द मिश्रा, निदेशक, दार्घकालीन योजना प्रभाग (नोडल अधिकारी वेबसाइट), राष्ट्रीय विज्ञान केन्द्र, लखनऊ को नियोजन विभाग, उ0प्र0 की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।

मुख्य अभियन्ता (तकनीकी सेल)
ई0पी0सी0 मिशन, नियोजन विभाग, लखनऊ